भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4288
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

एनएमईपी के अंतर्गत खनिज अन्वेषण

†4288. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (एनएमईपी) के अंतर्गत खनिज अन्वेषण और संसाधनों के मानचित्रण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) एनएमईपी के अंतर्गत खनिज अन्वेषण के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों और लक्षित खनिजों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) खनिज उत्खनन में निजी कंपनियों और सरकारी-निजी भागीदारी की क्या भूमिका है और उन्हें क्या-क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी) के अनुरूप गवेषण कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए, देश में खनिज गवेषण के लिए अधिक क्षेत्रों और नए खनिजों को चिह्नित करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

- जीएसआई ने तात्विक सांद्रता के असामान्य क्षेत्र/क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय भू-रासायनिक मानचित्रण (एनजीसीएम) कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 21.39 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को पूरा कर लिया है। इसके राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण (एनजीपीएम) कार्यक्रम के तहत, 16.84 लाख वर्ग किमी क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है।

• राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) जीएसआई का एक दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे संभावित छिपे हुए खनिज क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए मिट्टी से ढके इलाकों में 80 मीटर की ऊंचाई और 120 मीटर की दूरी पर एक समान हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। एनएजीएमपी के तहत 7 ब्लॉकों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 322 असामान्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।

• जीएसआई ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर खनिज गवेषण कार्यक्रमों की गति तीव्र की है। कार्यसत्र 2016-17 से 2023-24 तक, जीएसआई ने देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 704 परियोजनाओं सहित विभिन्न खनिज पदार्थों के लिए कुल 2169 खनिज गवेषण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्यसत्र 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 195 परियोजनाओं सहित 437 खनिज गवेषण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

• जीएसआई ने देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर लगभग 20.43 लाख वर्ग किमी का व्यवस्थित रूप से मानचित्रण किया है। प्राप्त समुद्री भूवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर, जीएसआई ने भारी खनिज, चूना-मिट्टी, निर्माण रेत, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल/क्रस्ट आदि जैसे विभिन्न खनिजों के लिए ईईजेड के भीतर केंद्रित गवेषण के लिए 5.89 लाख अपतटीय संभावित क्षेत्रों (ओपीए) को चित्रित किया है। जीएसआई अपतटीय खनिज संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए ईईजेड में क्लोज ग्रिड गवेषण (जी3) के बाद जी4 सर्वेक्षणों द्वारा ओपीए क्षेत्रों में प्रारंभिक खनिज गवेषण पर भी जोर दे रहा है।

• हाल के वर्षों में देश भर में खनिज गवेषण परियोजनाओं के माध्यम से जीएसआई द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं: आरईई अयस्क, कवलपुर, महाराष्ट्र, बटेसरथन, बिहार और गुंडलुपेट, कर्नाटक में टंगस्टन अयस्क, रेवत हिल, राजस्थान में और लिथियम अयस्क, बानसंद्रा, कर्नाटक में निकल अयस्क, राधपु ब्लॉक, अरुणाचल प्रदेश और अधमानिया ब्लॉक, झारखंड में, वैनेडियम अयस्क और ग्रेफाइट अयस्क, मदनसाही-केशरपुर पूर्व, ओडिशा में तांबा अयस्क, माचनूर पश्चिम ब्लॉक, कर्नाटक में, तांबा अयस्क और स्वर्ण अयस्क, सतीपुरा उप-बेसिन ब्लॉक, राजस्थान में पोटाश अयस्क, संबलपुर और फॉस्फोराइट अयस्क, भेड़ी ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में गैलियम

अयस्क और वैनेडियम अयस्क रौनी ब्लॉक के उत्तर, छत्तीसगढ़ में तथा लौह अयस्क बारपाड़ा दक्षिण और गदाधरपुर ब्लॉक, ओडिशा में।

(ग): एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के बिना गवेषण करने के लिए अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ऐसी एजेंसियों को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार, अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 29 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है। नीलामी के माध्यम से प्रदत्त ईएल अनुज्ञप्तिधारक को इन 29 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगा।

खान मंत्रालय ने 31 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है और एनएमईटी ने अब तक ₹ 122.34 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत के साथ एनपीईए की 72 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। इसके अलावा, गवेषण कार्यकलाप के सुचारू निष्पादन के लिए अपने संसाधनों को जुटाने में मदद करने के लिए समान मूल्य की बैंक प्रतिभूति जमा करने के बदले एनपीईए के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुमोदित परियोजना लागत का 30% तक) उपलब्ध है। एनएमईटी ने गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना शुरू की है, जहां एनएमईटी 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत के 50% तक गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा किए गए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति करेगा। एनएमईटी 8 करोड़ रुपये की सीमा के साथ गवेषण के लिए किए गए प्रत्यक्ष लागत के 50% तक गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना के साथ संयुक्त अनुज्ञप्ति धारकों का भी समर्थन करता है। इसके अलावा, एनएमईटी ब्लॉक को जी4 से जी3 चरण में अपग्रेड किये जाने की स्थिति में सोना, आधारधातु, अन्य बहुमूल्य खनिजों, सामरिक/महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों के लिए ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जी4 मदों के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत का 25% गवेषण प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।

*****